

### कार्यालय आदेश

उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के आदेश सं. यूपीईआरसी/जेडी(टीएमओए)/डी(डी)/ सेक्रेटरी/11-1613 दि. 08 फरवरी, 2011 द्वारा Promotion of Green Energy through Renewable Purchase Obligation के अन्तर्गत सम्बन्धित Renewable Energy Generator को Renewable Energy Certificate हेतु accreditation करने के लिए उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को स्टेट एजेंसी घोषित किया गया है, जिसके क्रम में उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के आदेश सं. यूपीईआरसी/सेक्रेटरी/वीसीए/2011-1772 दि. 10 मार्च, 2011 द्वारा Renewable Energy Generation Project के Accreditation हेतु प्रोसीजर अनुमोदित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है ।

तदक्रम में उक्त प्रोसीजर के Annexure-3 के बिन्दु-3 एवं 5 पर अंकित Renewable Energy Generators के निम्नांकित अभिलेखों को जनपदीय परियोजना अधिकारियों द्वारा, स्थलीय भ्रमण करते हुए, सत्यापित किया जाना है ।

**बिन्दु-3** Connectivity diagram/single line diagram of the station clearly identifying the units to be considered for accreditation and showing the metering arrangement along with their Location, Type, Manufacturer, Model, Serial number, Class & Accuracy.

**बिन्दु-5** Use of fossil-fuel (Undertaking of Companies) : 15% of coal of total consumption of fuel – self attestation on company letter head.

अस्तु, समस्त जनपदीय परियोजना अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वे Renewable Energy Generators द्वारा उक्तानुसार प्रस्तुत अभिलेख, स्थलीय भ्रमण के उपरान्त, सत्यापित कर तत्काल सम्बन्धित RE Generator को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि Renewable Energy Certificate हेतु सम्बन्धित RE Generator द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभावी होंगे ।

ह./-

( अखिलेश कुमार )

सचिव एवं मु.परि.अधिकारी यूपीनेडा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. यूपीनेडा मुख्यालय पर गठित Renewable Energy Certificate प्रकोष्ठ के नामित अधिकारी/कर्मचारीगण (नाम से) ।
2. समस्त जनपदीय वरि.परि.अधिकारी ग्रेड-2/परियोजना अधिकारी यूपीनेडा ।

ह./-

( अखिलेश कुमार )

सचिव एवं मु.परि.अधिकारी यूपीनेडा